सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

1 फाल्गुन, 1947 (श०)

संख्या - 62 राँची, शुक्रवार, 20 फ़रवरी, 2026 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

10 फरवरी, 2026

संख्या-5/आरोप-01-61/2023 का० 712--खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक- 2563 दिनांक-29.08.2023 के माध्यम से प्राप्त उपायुक्त, गुमला के पत्रांक-248(ii)/स्था०, दिनांक-21.02.2023 द्वारा गठित आरोप-पत्र में श्री गुलाम समदानी, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-112/20), तत्कालीन जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गुमला के विरूद्ध मुख्यतः NFSA/JSFSS योजना के तहत आच्छादित 1938 लाभुकों को PVTG श्रेणी में परिवर्तित करने, उनके लॉगईन से किये जा रहे कार्यों का अनुश्रवण नहीं करने, कास्ट चेंज कर गलत तरीके से गैर PVTG श्रेणी के लाभुकों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लाभ पहुँचाने, उक्त के कारण वास्तविक PVTG श्रेणी के परिवार को लाभ से वंचित होने आदि से संबंधित आरोप प्रतिवेदित किया गया ।

2. समीक्षोपरांत, श्री गुलाम समदानी के विरूद्ध गठित आरोप पत्र में प्रतिवेदित आरोपों की जाँच हेतु झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-17 के तहत् विभागीय कार्यवाही संचालित किए जाने का निर्णय लिया गया, जिस पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है। तदोपरांत विभागीय संकल्प संख्या 25641 (HRMS), दिनांक-31.05.2024 के द्वारा श्री गुलाम समदानी, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-112/20), तत्कालीन जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गुमला के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी ।

3. विभागीय जाँच पदाधिकारी के पत्रांक-172, दिनांक- 04.11.2024 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। समर्पित जाँच प्रतिवेदन में श्री गुलाम समदानी के विरूद्ध प्रतिवेदित दोनों आरोप प्रमाणित नहीं होता है, प्रतिवेदित किया गया है ।

4. विभागीय जाँच पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट है कि विभागीय कार्यवाही के संचालन के दौरान दस्तावेजी साक्ष्यों को **Exhibit,** संबंधित गवाहों / सरकारी सेवकों को परीक्षण एवं प्रतिपरीक्षण नहीं किया गया है ।

5. माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय के द्वारा कतिपय मामलों में विभागीय कार्यवाही / अनुशासनिक कार्यवाही के दौरान साक्ष्यों को **Exhibit** नहीं करने, साक्ष्यों का परीक्षण संबंधित गवाहों / सरकारी सेवकों से नहीं कराये जाने एवं आरोपी पदाधिकारी के द्वारा प्रतिपरीक्षण नहीं कराये जाने के कारण सरकार के द्वारा आरोपी सरकारी सेवक के विरूद्ध अधिरोपित शास्ति को निरस्त कर दिया जाता है ।

6. अतः श्री गुलाम समदानी के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोपों के संबंध में झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील), नियमावली, 2016 के नियम-18(1) के आलोक में उक्त नियमावली के नियम-17 के तहत् पुनः जाँच करने तथा दस्तावेजी साक्ष्यों को **Exhibit** करने, संबंधित गवाहों / सरकारी सेवकों को परीक्षण एवं प्रतिपरीक्षण करने हेतु पुनः आगे जाँच किए जाने का निर्णय लिया गया है ।

7. तदनुसार एतद् द्वारा श्री गुलाम समदानी को आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प के प्राप्त होने की तिथि से पन्द्रह दिनों के अंदर जाँच हेतु नीचे नियुक्त संचालन पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर दस्तावेजी साक्ष्यों को **Exhibit** करने, संबंधित गवाहों / सरकारी सेवकों को परीक्षण एवं प्रतिपरीक्षण हेतु संचालित विभागीय कार्यवाही में शामिल हों तथा तत्संबंधी सूचना से इस विभाग को भी अवगत कराएँ ।

8. श्री गुलाम समदानी के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में पुनः आगे जाँच के लिए झारखण्ड के राज्यपाल द्वारा श्री सुनील कुमार, से०नि० भा०प्र०से०, विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड, नगर प्रशासन भवन, एच.ई.सी., गोलचक्कर, धुर्वा, राँची को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है ।

9. विभागीय संकल्प संख्या 25641(HRMS), दिनांक- 31.05.2024 के द्वारा श्री गुलाम समदानी के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गुमला को उपस्थापन पदाधिकारी के रूप में नामित किया गया है ।

10. विभागीय कार्यवाही से संबंधित मूल अभिलेख, श्री सुनील कुमार, से०नि० भा०प्र०से०, विभागीय जाँच पदाधिकारी को वापस करते हुए अनुरोध है कि दस्तावेजी साक्ष्यों को **Exhibit** करने, संबंधित गवाहों / सरकारी सेवकों को परीक्षण एवं प्रतिपरीक्षण कराते हुए यथाशीघ्र जाँच प्रतिवेदन समर्पित करेंगे ।

11. उक्त प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का आदेश प्राप्त है ।

आदेशः- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को राजकीय गजट में प्रकाशित कराया जाय एवं इसकी प्रति (आरोप पत्र एवं साक्ष्य कागजात सहित) श्री गुलाम समदानी, झा०प्र०से० एवं श्री सुनील कुमार, से०नि० भा०प्र०से०, विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड, नगर प्रशासन भवन, एच.ई.सी., गोलचक्कर, धुर्वा, राँची को जानकारी एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

चिन्टू दोराईबुरू,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 62 - 50